more, to be set up in all districts except those in *Poorvanchal* (Eastern U.P.), *Madhyanchal* (Central U.P.) and *Bundelkhand* regions, will be provided the facility of interest free loan, from the date of first sale up to 10 years, equivalent to the sum of VAT and Central Sales Tax deposited by industrial units or 10 percent of the annual turnover whichever is less, the repayment of which will be made after 7 years from the date of disbursement of such loan.

5.4.3 To provide facility of interest free loan also to units undertaking expansion, provision shall be made similar to para 5.4.1 & 5.4.2 above, consisting of interest free loan equivalent to the sum of VAT and Central Sales Tax paid.

5.5 Energy Related Financial Provisions

5.5.1 The present Exemption in Electricity Duty available to new units for 10 years and to pioneer units for 15 years will be continued.

5.5.2 The Electricity, produced by Captive Power Plant for self use, will be exempted from Electricity Duty.

5.6 SUBSIDY SCHEMES

5.6.1 Capital Interest Subsidy Scheme– New Industrial units set up, in *Poorvanchal* (Eastern U.P.), *Madhyanchal* (Central U.P.) and *Bundelkhand*, will for a maximum period of 5 years be reimbursed the amount of interest at the rate of 5% payable on loan taken by them for procurement of plant & machinery from Banks/Financial Institutions. The maximum limit of the same will be Rs.50 lakhs per unit.

Only for new textile units like spinning, weaving, knitting and garments manufacturing units, the maximum limit same will be Rs.1 Crore per unit in *Poorvanchal* (Eastern U.P.), *Madhyanchal* (Central U.P.) and *Bundelkhand*, and in other regions of the state it will be Rs.50 lakhs.

5.6.2 Infrastructure Interest Subsidy Scheme- New Industrial units, being set up in the state, will for a maximum period of 5 years be reimbursed the amount of

interest at the rate of 5 % payable on loan taken by them for developing infrastructural amenities for self use like roads, sewer, water drainage, erection of power line, transformer and power feeder. The maximum limit of the same will be Rs.1 Crore per unit.

5.6.3 **Industrial Quality Development Subsidy Scheme-** Industrial Associations and Groups of Industrial Units will for a maximum period of 5 years be reimbursed the amount of interest at the rate of 5 percent payable on loan taken by them for Industrial Research, Quality improvement and development of products by incurring expenditure on procuring plant, machinery & equipments in setting up Testing Labs, Quality Certification Labs and Tool Rooms. The maximum limit of the same will be Rs.1 Crore per Lab/Tool Room.

5.6.4 **E.P.F. Reimbursement Scheme-** All such new Industrial units set up in the state, which provide employment to 100 or more unskilled workers, will be reimbursed the 50 percent amount of E.P.F. deposited by them in favour of workers for next 3 years after 3 years of setting up unit.

5.7 MEGA PROJECTS

Mega Projects mean private or joint sector (in which the equity of government or any public sector enterprise is less than or equal to 49%), industrial units with proposed investment of Rs. 200 Crore or more, which act as anchor units in their respective fields, provide employment on large scale and promote micro and small sector industrial units of their field extensively. A huge capital investment is made by such units which brings indirect benefits to the State. Many times, such units require speedy facilitation by State government for ensuring commencement of production at the earliest by saving time in establishing the units.

In order to attract capital investment and to transform the State into most competitive investment destination globally, it is imperative to establish more and more mega projects in the State. To achieve this objective, State Government will promote setting up of Mega Projects in the following manner:

संख्या-1415/77-6-12-08-(एम)/12टी.सी.

प्रेषक,

संजय प्रसाद
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ।
- प्रबंध निदेशक, उ.प्र. वित्तीय निगम, 14/88, सिविल लाइन्स, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 30 नवम्बर, 2012**

विषयः पूँजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के सम्बन्ध में।

महोदय,

पूँजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजना में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं पूँजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 की प्रतियाँ समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों, क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. वित्तीय निगम को अपने स्तर से वितरित कराने का कष्ट करें।

2. इस योजना के संचालन हेतु पिकप एवं उ.प्र. वित्तीय निगम को प्राधिकृत संस्था नामित किया जा रहा है।
3. प्रश्नगत् सुविधा का लाभ उठाने के पश्चात संबन्धित इकाई भविष्य में बन्द न कर दी जाये इस हेतु भी समुचित व्यवस्था अनुबंध पत्र के माध्यम से प्राधिकृत संस्था द्वारा की जायेगी।
4. उपर्युक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति विधायी स्वीकृति के पश्चात ही निर्गत की जायेगी।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,

(संजय प्रसाद)
सचिव।

संख्या-1415(1)/77-6-12-08-(एम)/12टी.सी., तददिनांकः

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन।
3. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उ.प्र. शासन।
5. प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ.प्र. शासन।
6. प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ.प्र. शासन।

संख्या-1385/77-6-12-08-(एम)/12टी.सी.I

प्रेषक,

संजय प्रसाद
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2. प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, उ.प्र. वित्तीय निगम, 14/88, सिविल लाइन्स, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 30 नवम्बर, 2012**

विषयः अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजना में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 की प्रतियॉ समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों, क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. वित्तीय निगम को अपने स्तर से वितरित कराने का कष्ट करें।

2. इस योजना के संचालन हेतु पिकप एवं उ.प्र. वित्तीय निगम को प्राधिकृत संस्था नामित किया जा रहा है।
3. प्रश्नगत् सुविधा का लाभ उठाने के पश्चात संबन्धित इकाई भविष्य में बन्द न कर दी जाए इस हेतु भी समुचित व्यवस्था अनुबंध पत्र के माध्यम से प्राधिकृत संस्था द्वारा की जायेगी।
4. उपर्युक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति विधायी स्वीकृति के पश्चात ही निर्गत की जायेगी।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त

(संजय प्रसाद)
सचिव।

संख्या-1385/77-6-12-08-(एम)/12टी.सी.I तददिनांकः

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन।
3. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उ.प्र. शासन।
5. प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ.प्र. शासन।
6. प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ.प्र. शासन।

7. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उ.प्र. शासन।
9. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि योजना की 1500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र. को मुद्रित प्रतियाँ प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6।
12. नियोजन अनुभाग-1।
13. समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संलग्नक : यथोक्त।

(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-1385/77-6-12-08-(एम)/12टी.सी.I तददिनांकः

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि कृपया इस योजना का समस्त समाचार पत्रों में व अन्य माध्यमों से समुचित प्रचार-प्रसार कराने की कृपा करें। अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 की प्रति संलग्न है।

आज्ञा से,

संलग्नक : यथोक्त।

(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव।